भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 68
26 जून, 2019 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन

***68. श्री गोपाल शेट्टी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन हेतु बजटीय आवंटन, संशोधित अनुमान तथा किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस योजना के वर्तमान मॉडल को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में कुछ असंतोष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनके साथ बात करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ; और

(ड.) ओआरओपी हेतु न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है तथा इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

लोक सभा में दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 68 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सरकार ने 01.07.2014 से समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन हेतु 07.11.2015 को आदेश जारी किए थे ।

(ख): ओआरओपी के कार्यान्वयन के कारण रक्षा सेनाओं के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को बकाया के रूप में 10,795.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। दिनांक 07.11.2015 के ओआरओपी आदेश के कार्यान्वयन के कारण बकाया का भुगतान रक्षा पेंशन बजट प्राक्कलन से किया गया है । कुल पेंशन बजट में से ओआरओपी हेतु कोई पृथक बजट आवंटन/बजट नहीं है । तथापि, कुल पेंशन बजट में से ओआरओपी के बकाया के लिए जारी की गई राशि से संबंधित कुल व्यय के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नवत हैं :

वित्त वर्ष	**ओआरओपी बकाया के चलते संवितरित राशि**
2015-16	2,861.55 करोड़ रुपए
2016-17	5,370.61 करोड़ रुपए
2017-18	2,563.24 करोड़ रुपए
कुल	10,795.40 करोड़ रुपए

(ग) और (घ): कुछ भूतपूर्व-सैनिक संघ पेंशन के निर्धारण संबंधी पद्धति, इसके संशोधन की आवधिकता इत्यादि में बदलाव की मांग कर रहे हैं । सरकार ने ओआरओपी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विसंगतियों, यदि कोई है, की जांच करने हेतु 14.12.2015 को ओआरओपी पर एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) गठित की ।

(ड.): सरकार ने ओआरओपी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विसंगतियों, यदि कोई है, की जांच करने हेतु न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी के अधीन 14.12.2015 को ओआरओपी पर एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) का गठन किया । अपनी सिफारिश करते समय समिति को सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखना था । समिति ने अपनी रिपोर्ट 26.10.2016 को सौंपी । ओएमजेसी की सिफारिशों की व्यवहार्यता और वित्तीय पहलुओं के संबंध में जांच करने हेतु सरकार द्वारा एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है । मामला उक्त आंतरिक समिति के जांचाधीन है ।

***